न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

बईजलास –कुमार पाल गौतम, जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

भरण पोषण अपील संख्या 133 / 2017
(आर.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2017 / 00168)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
रामजीवन पुत्र गिरधारीलाल जाति माली निवासी मेडतासिटी(सिनियर सीटीजन वरिष्ठ नागरिक) पता भाटीयों का बास, हाफिज साहब की दरगाह के पास, मेडतासिटी।		1. श्यामलाल पुत्र रामजीवन जाति माली निवासी मेडतासिटी हाल पता ग्राम अमरपुरा कृष्णा पेट्रोल पम्प अम्बुजा फेक्ट्री के पास ग्राम अमरपुरा तहसील जैतारण जिला पाली 2. बाबूलाल पुत्र रामजीवन जाति माली निवासी मेडता सिटी हाल मेडतारोड बाबा कॉलोनी मेडतारोड 3. कैलाशचन्द पुत्र रामजीवन जाति माली निवासी मेडतासिटी पता भाटीयों का मौहल्ला हाफिज साहब की दरगाह के पास मेडतासिटी

आदेश दिनांक 11-1-2018

अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेडता द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या–4 / 2009 रामजीवन बनाम श्यामलाल वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2017 से व्यथित होकर दिनांक 13.11.2017 को यह अपील पेश की है, जो ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। दिनांक 18.12.2017 को अपीलान्ट के पुत्र देवीलाल भाटी ने दस्तावेज सूची के साथ खास मुख्तियारनामा 18.12.2017 प्रस्तुत किया। उक्त खास मुख्तियारनामा के द्वारा अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील में अपीलान्ट की हैसियत से इस न्यायालय में सभी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु अपने पुत्र देवीलाल को अधिकृत किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से उसके पुत्र देवीलाल ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के संबंध में कथन किया की अपीलान्ट 90 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा काफी समय से बीमार चल रहा है स्वास्थ्य खराब होने से एवं चलने फिरने की स्थिति में नहीं होने से समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी है। न्याय हित में डिले कण्डोन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट द्वारा अपील मयाद बाहर पेश करने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। प्रकरण अपीलान्ट के पुत्र देवीलाल द्वारा किये गये कथनों पर प्रथमदृष्टया विश्वास करते हुए न्याय हित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

अपीलान्ट की ओर से उसके पुत्र देवीलाल ने अपनी बहस में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते हुऐ कथन किया की अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट से दिनांक 23.08.2010 को आदेश दिया जाकर अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट से एक–एक हजार रूपये की राशि भरण पोषण की प्रतिमाह दिलाई गई है और प्रत्येक माह की 7 तारीख तक यह राशि जमा कराने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी का खाता यूको बैंक शाखा डांगावास में है जिसके खाता संख्या 27180110001882 है। अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट से गुजारे की राशि वसूल करवाए जाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया था क्योंकि रेस्पोडेन्ट ने अदालत के आदेश की पालना नहीं की और अपीलार्थी को भरण पोषण की राशि का एक भी पैसा अदा नहीं किया। रेस्पोडेन्ट श्यामलाल, बाबूलाल, कैलाश ने दिनांक 23.08.2010 से 23.07.2017 तक की भरण पोषण की राशि 83,000 / – रूपये प्रत्येक रेस्पोटन्ट की बकाया है। अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2017 को उक्त राशि वसूल कराए जाने के लिये प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसको अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.10.2017 को खारिज करने में कानूनी गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय ने भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 का सपठित धारा 10 (1) (2) के आधार पर अपीलार्थी के वसूली के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी एंव वाक्यिाती गलती की है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी का 100 रूपये के स्टाम्प पर ईकरारनामा बाबत राजीनामा बिल्कुल

फर्जी तैयार किया है जबकि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को भरण पोषण की राशि बिल्कुल अदा नहीं की है। इस फर्जी ईकरारनामा को आधार मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.10.2017 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में गलती की है।

रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में बिल्कुल गलत व झूठा जवाब पेश किया है और बिल्कुल फर्जी ईकरारनामा पेश किया। फर्जी स्टाम्प दिनांक 05.05.2012 का खरीदना बतलाया गया है और इसमें वर्ष 2013 तक की सम्पूर्ण भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का लिख दिया जब स्टाम्प ही 05.12.2012 को खरीदना बताया तो 2013 तक की वसूली की बात कैसे ईकरारनामा में आ गई। जिससे यह ईकरारनामा फर्जी साबित होता है। फर्जी ईकरारनामा में कोई तारीख नीचें अंकित नहीं है यह ईकरारनामा कब लिखा गया। सिर्फ फर्जी टाईप करवाकर के कम्प्यूटर से यह फर्जी ईकरारनामा तैयार किया गया है जो बिल्कुल फर्जी है। फर्जी ईकरारनामा में प्रतिवर्ष 3 लाख रूपये की फसल प्राप्त होने का लिखा जबकि अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट खेती करने ही नहीं देते जिससे भी यह ईकरारनामा फर्जी साबित होता है। इस फर्जी ईकरारनामा में दिनांक 05.05.2012 को राजीनामा होने का लिखा है जिससे यह साबित होता है यह फर्जी ईकरारनामा रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 05.05.2012 को कम्प्यूटर से तैयार किया है जबकि 05.05.2012 को कम्प्यूटर से तैयार किया है जबकि 05.05.2012 को यह राजीनामा फर्जी लिखा गया है तो श्यामलाल, बाबूलाल और कैलाशचन्द ने वर्ष 2013 तक की सम्पूर्ण भरण पोषण की राशि प्राप्त कर ली यह कैसे हो सकता है। जिससे भी यह ईकरारनामा बिल्कुल फर्जी तैयार किया हुआ साबित होता है। इस फर्जी ईकरारनामा में वृद्धावस्था व अर्द्धचेतन अवस्था में मेरे दो पुत्र जुगल व देवीलाल के द्वारा कार्यवाही करने का लिखा है जबकि अपीलार्थी अर्द्धचेतन बिल्कुल नहीं है जो कागजात रेस्पोडेन्ट ने ईलाज के पेश किये है उसमें भी अपीलांट का दिमाग बिल्कुल सही बताया गया है, अर्द्धचेतन नहीं बताया है। जिससे भी यह ईकरारनामा बिल्कुल फर्जी तैयार किया गया है। इस फर्जी ईकरारनामा में यह लिखा है कि बाबुलाल ने मेरी अच्छी सेवा चाकरी की जबकि बाबुलाल ने अपीलार्थी की कभी सेवा चाकरी नहीं की है और बाबुलाल ने कभी ईलाज भी नहीं करवाया और कोई खर्चा नहीं किया। यह फर्जी ईकरारनामा रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को उसके भरण पोषण की राशि नहीं देने के लिये बिल्कुल फर्जी तैयार किया है और इस फर्जी ईकरारनामा पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर अपीलार्थी के द्वारा यह भरण पोषण राशि वसूल करने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसको नोटिस रेस्पोडेन्ट की पेशी दिनांक 20.09.2017 का मिला उसके बाद में रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के फर्जी हस्ताक्षर करके यह फर्जी ईकरारनामा तैयार किया है। इस फर्जी ईकरारनामा पर अगर यह ईकरारनामा सही होता तो इस पर नीचे तारीख लिखी जाती मगर क्योंकि रेस्पोडेन्ट ने तारीख पेशी 20.09.2017 का नोटिस मिला उसके बाद यह फर्जी ईकरारनामा तैयार किया है इसलिए रेस्पोडेन्ट ने इस फर्जी ईकरारनामा पर तारीख नहीं लिखी है। इस फर्जी ईकरारनामा पर धनराज पुत्र रामचन्द्र मेघवाल निवासी मेडतारोड की फर्जी साख डलवाई गई है, जो रेस्पोडेन्ट बाबुलाल व उसके मिलने वाला आदमी है तथा जो जयप्रकाश पुत्र सोहनलाल कुमावत निवासी मेडता सिटी की फर्जी साख डलवाई गई है जो रेस्पोडेन्ट कैलाश का मिलने वाला व उसका आदमी है जिनसे फर्जी साख डलवाई गई है। इस फर्जी ईकरारनामा की लिखावट और साखों और हस्ताक्षर फर्जी तमाम प्रकार की स्याही का एफ. एस.एल परीक्षण करवाया जावे जिससे यह फर्जी साबित होते है और साबित होता है कि यह फर्जी ईकरारनामा रेस्पोडेन्ट ने तारीख पेशी 20.09.2017 का नोटिस मिलने के पश्चात् में फर्जी तैयार किया है।

रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 04.10.2017 को अपना गलत व झूठा जवाब प्रस्तुत किया है उस गलत व झूठे जवाब में इस फर्जी ईकरारनामा का कोई भी विवरण दर्ज नहीं है जिससे यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट ने यह फर्जी ईकरारनामा दिनांक 04.10.2017 के पश्चात् तैयार किया है अगर वास्तव में रेस्पोडेन्ट के पास यह असल ईकरारनामा होता तो रेस्पोडेन्ट उसका जिक्र अपने जवाब दिनांक 04.10.2017 में जरूर करते लेकिन रेस्पोडेन्ट के दिनांक 04.10.2017 के जवाब में इस फर्जी ईकरारनामा का कोई विवरण दर्ज नहीं है न ही कोई तारीख दर्ज है न ही यह बात दर्ज है कि रेस्पोडेन्ट ने वर्ष 2013 तक का भरण पोषण अपीलार्थी को अदा किया हो। जिससे भी यह ईकरारनामा बिल्कुल फर्जी है और रेस्पोडेन्ट ने बिल्कुल फर्जी तैयार किया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने गलत व झूठे जवाब में मिततल अस्पताल कृष्णा हॉस्पीटल में ईलाज करवाने का लिखा और उसका खर्चा अदा करने का लिखा जो बात भी रेस्पोडेन्ट ने बिल्कुल फर्जी लिखी है क्योंकि उन मेडिकल के ईलाज के कागजो पर अपीलार्थी के पुत्र देवीलाल के हस्ताक्षर है जिससे साबित है कि ईलाज देवीलाल ने करवाया है रेस्पोडेन्ट ने नहीं करवाया है। रेस्पोडेन्ट ने फर्जी जवाब दिया कि उन्होंने मित्तल हॉस्पिटल में ईलाज करवाया और खर्चा लगाया जबकि जो कागजात ईलाज के पेश किये है जिस पर देवीलाल के हस्ताक्षर है और अपीलार्थी के पुत्र देवीलाल ने ईलाज करवाया है और अपीलार्थी का ईलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में हुआ है जो कागजात

रेस्पोडेन्ट ने पेश किये है वो जवाहर लाल नेहरू अस्पताल अजमेर के कागजात है और जिस पर अपीलार्थी के पुत्र देवीलाल के हस्ताक्षर है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने गलत व झूठा जवाब दिया और फर्जी ईकरारनामा 100 रूपये के स्टाम्प पर तैयार है, जो फर्जी है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये बिना किसी प्रकार का बयान लिये अपीलार्थी के वसूली के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में तथा माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 का सपठित धारा 10 (1) (2) के आधार पर अपीलांट के वसूली के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में और पत्रावली को फैसल शुमार करने में और दाखिल दफ्तर करने में कानूनी एंव वाक्यिाती गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट बाबूलाल के पुत्र मनीष भाटी कम्प्यूटर के काम पर लगा हुआ है उसने ही यह फर्जी ईकरारनामा तैयार किया है और अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सभी कारणों से अपीलार्थी के वसूली के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में तथा अपीलार्थी के वसूली के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में तथा अपीलार्थी के विरूद्ध माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 का सपठित धारा 10 (1) (2) के आधार पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.10.21017 गैर कानूनी व नाजायज है और न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है इसलिए उसको अपास्त किया जाना न्याय संगत है।

अपीलांट के पक्ष में भरण पोषण का आदेश एस.डी.एम. कोर्ट मेडता ने दिया था जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट ने जिला कलक्टर नागौर के पास की थी रेस्पोडेन्ट की वो अपील जिला कलक्टर नागौर ने खारिज की और जिला कलक्टर नागौर ने अपीलांट के पक्ष में भरण पोषण का आदेश की पुष्टी करते हुए अपीलांट को रेस्पोडेन्ट से भरण पोषण की राशि जिला कलक्टर नागौर ने रेस्पोडेन्ट से दिलाई थी। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के वसूली के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी एंव वाक्यिाती गलती की है। अपीलांट के पक्ष में भरण पोषण का आदेश दिनांक 23.08.2010 का कायम है और रेस्पोडेन्ट ने फर्जी तरीके से फर्जी ईकरारनामा तैयार करके वर्ष 2013 तक की भरण पोषण की राशि देने का लिखा है रेस्पोडेन्ट के फर्जी ईकरारनामा के अनुसार भी अपीलार्थी की भरण पोषण राशि वर्ष 2014 से रेस्पोडेन्ट में बकाया चल रही है। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र खारिज नहीं करना चाहिये था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने आधार पर अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी एंव वाक्यिाती गलती की है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2017 को अपास्त किया जाना न्याय संगत है। अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट से आदेश दिनांक 23.08.2010 की पालना में भरण पोषण की राशि रेस्पोडेन्ट से दिलाई जावे और अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2017 को अपास्त फरमाया जावें। अपीलार्थी अचेतन अवस्था में बिल्कुल नहीं है अपीलार्थी का दिमाग बिल्कुल सही है अपीलार्थी स्वंय माननीय जिलाधीश महोदय नागौर के समक्ष उपस्थित होकर के यह अपील पेश करने का कथन करते हुऐ अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2017 को अपास्त फरमाया जाने और अपीलांट को रेस्पोडेन्ट से भरण पोषण के आदेश दिनांक 23.08.2010 की पालना में भरण पोषण की राशि अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट से दिलाई जावे और रेस्पोडेन्ट ने फर्जी कार्यवाही करके अपीलार्थी को दुख और तकलीफ दी है अपीलार्थी को भरण पोषण की राशि अदा नहीं की है जिससे रेस्पोडेन्ट को न्यायिक हिरासत में लिया जावे उनको जेल में डाला जावे उनको सजा भुगताई जावे और अपीलार्थी को भरण पोषण की राशि की वसूली करवाई जावें और अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में 23.08.2010 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा अपीलान्ट को 1000–1000 रूपये भरण पोषण हेतु अदा करने का आदेश पारित किया था, के 7 वर्ष पश्चात अब अपीलान्ट ने भरण पोषण राशि बकाया बताते हुऐ भरण पोषण राशि दिलाने का निवेदन किया है, जबकी अपीलान्ट का अप्राथीगण में कोई राशि बकाया नहीं है। इसके अलावा 7 वर्ष के पश्चात बकाया वसूली के लिए आवेदन पर कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है।

अपीलान्ट रामजीवन द्वारा वर्ष 2012 में एक इकरारनामा बाबत राजीनामा निस्पादित किया जिसमें अपीलान्ट ने कथन किये है कि मेरे स्वंय के नाम 62 बीघा सिंचित भूमि है, जिससे प्रतिवर्ष 3 लाख रूपये की आय होती है। मेरे द्वारा मेरे दो पुत्र जुगलकिशोर व देवीलाल के बहकावट में आकर भरण पोषण का केस एस.डी.एम. कोर्ट मेड़ता में किया था। उक्त केस में मेरे पुत्रों के विरूद्ध 1000–1000 रूपये दिनांक 23.8.2010 से मुझे बतौर भरण पोषण राशि देने का आदेश किया था। मेरे द्वारा रेस्पोडेन्ट से वर्ष 2013 तक की सम्पूर्ण भरण पोषण राशि प्राप्त कर ली है। भविष्य में मैं मेरे पुत्र बाबुलाल, श्यामलाल, व कैलाशचंद(रेस्पोडेन्टस) के विरूद्ध इस भरण पोषण की वसूली बाबत किसी प्रकार की ए.डी.एम.कोर्ट मेड़ता में नहीं करूंगा। अगर मेरी वृद्धावस्था व अर्द्धचेतन अवस्था में मेरे दो पुत्र जुगलकिशोर व देवीलाल द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

मेरे हस्ताक्षर अथवा अगूंठा कराकर मेरे इन तीन पुत्रों श्यामलाल, बाबुलाल व कैलाशचंद के विरूद्ध भरण पोषण के संबंध में कोई वसूली की कार्यवाही करेगें तो व्यर्थ व झूठे माने जायेगे। बाबूलाल ने मेरी अच्छी सेवा की है। समय–समय पर बाबूलाल ने ही मेरी दवाईयों में, बीमारी में व अन्य खर्चे वहन किये है। इसके अलावा अपीलान्ट ने अपने अन्य दो पुत्र देवीलाल व जुगलकिशोर के बहकावे में आकर 7,00,000/– रूपये का के.सी.सी. लोन भी लिया है, जिसकी लिमिट 10 लाख रूपये है।

इसके अतिरिक्त अपीलान्ट की उम्र 91 वर्ष हो चुकी है इस कारण हमारे अन्य दो भाईयों जुगलकिशोर व देवीलाल द्वारा अपीलान्ट की वृद्धावस्था व अर्द्धचेतन अवस्था का फायदा उठाते हुऐ भरण पोषण के मामले में गलत रूप से 7 वर्ष पश्चात वसूली की कार्यवाही की जा रही होने के का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2009 में रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट के दो अन्य पुत्र जुगलकिशोर व देवीलाल के विरूद्ध भरण पोषण हेतु उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के सक्षम आवेदन पेश किया जिसमें आदेश दिनांक 23.08.2010 के द्वारा प्रत्येक अप्रार्थी को 1000–1000रूपये प्रत्येक माह प्रार्थी के बचत बैंक खाता में जमा कराने का आदेश दिया, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा गया। उक्त तथ्य को अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में भी स्वीकार किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा 7 वर्ष पश्चात उक्त भरण पोषण आदेश की राशि वसूली के लिए उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष आवेदन किया। उक्त आवेदन के अनुक्रम में उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध कुर्की वारन्ट जारी किया। उक्त संबंध में रेस्पोडेन्टगण ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 10(1)(2) का प्रावधान की न्यायालय अपने फैसले पर पुर्नविचार कर भत्ते की राशि को कम अथवा समाप्त कर सकता है, के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुऐ अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने एवं रेस्पोडेन्टगण ने स्वंय के विरूद्ध कुर्की वारन्ट निरस्त करने का निवेदन किया। उक्त संबंध में बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी मेड़ता ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा निस्पादित इकरारनामा बाबत राजीनामा वर्ष 2012 के अनुसार अपीलान्ट के पास 62 बीघा खेती की सिंचित भूमि आई हुई है, जिसके द्वारा अपीलान्ट ने 3,00,000/–रूपये की प्रतिवर्ष फसल से आय होना बताया है। अपीलान्ट द्वारा उसके दो पुत्रों जुगलकिशोर व देवीलाल के बहकावट में आकर एस.डी.एम. कोर्ट मेड़ता में भरण–पोषण का केस किया था, जिसमें 23.8.2010 से भरण पोषण राशि 1000–1000 रूपये देने का आदेश किया गया था। उक्त इकरारनामा अनुसार श्यामलाल, बाबुलाल व कैलाशचन्द्र से वर्ष 2013 तक की सम्पूर्ण भरण पोषण की राशि अपीलान्ट द्वारा प्राप्त कर ली गई है। उक्त इकरारनामा में अपीलान्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि अगर मेरी वृद्धावस्था व अर्द्धचेतन अवस्था में मेरे दो पुत्र जुगलकिशोर व देवीलाल मेरे हस्ताक्षर अथवा अंगूठा करवाकर मेरे पुत्र श्यामलाल, बाबुलाल व कैलाशचंद के विरूद्ध भरण पोषण के संबंध में कोई वसूली कार्यवाही करेगें तो व्यर्थ व झुठे माने जायेगें। उक्त इकरारनामा मे बाबुलाल द्वारा अपीलान्ट की अच्छी सेवा चाकरी करने एवं दवाईयों व बीमारी में खर्चे वहन करना बताया है। इस प्रकार उक्त इकरारनामा में दिये गये तथ्यों के आधार पर ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से बहस भी उसके पुत्र देवीलाल द्वारा की गई है। अप्रत्यक्ष रूप से भाईयों के मध्य सम्पति को लेकर विवाद है, जिसके फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष वसूली का प्रकरण दायर किया जाना एवं तत्पश्चात यह अपील किया जाना प्रकट होता है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रत्येक रेस्पोडेन्टगण में भरण पोषण की राशि 23.08.2010 से 23.07.2017 तक 83,000/– बकाया होना बताया है। इस प्रकार भरण पोषण की वसूली हेतु 7 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना भी सन्देह उत्पन्न करता है। यदि अपीलान्ट को भरण पोषण राशि प्राप्त नहीं हो रही थी, तो उसके द्वारा पूर्व में वसूली हेतु पूर्व में प्रार्थना पत्र क्यों नहीं पेश किया ? इसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इससे यह अवधारणा की जा सकती है कि रेस्पोडेन्टगण में किसी प्रकार की भरण पोषण राशि बकाया नहीं रही है।

अपीलान्ट द्वारा इकरारनामे को फर्जी बताते हुऐ उज्र लिया है कि स्टॉम्प 5.5.2012 को खरीदना बताया गया है और इसमें 2013 तक की सम्पूर्ण भरण पोषण राशि प्राप्त करने की बात कैसे लिख दी गई है। इकरारनामा लिखने की तारीख अंकित नहीं है। अपीलान्ट के उक्त कथनों से उक्त इकरारनामा को फर्जी नहीं माना जा सकता है। दिनांक 5.5.2012 को स्टाम्प खरीदने के बाद भरण पोषण राशि का अग्रिम

भुगतान कर दिये जाने की स्थिति में आगामी तिथि जिस तिथि तक का अग्रिम भुगतान किया गया है, उस तिथि का उल्लेख कर दिये जाने मात्र से इकरारनामा फर्जी नहीं हो सकता है। इसके अलावा इकरारनामा पर यदि इकरारनामा लिखने की तारीख अंकित नही तो भी इकरारनामा फर्जी नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट उक्त इकरारनामा को फर्जी अथवा कूटरचित होना मानता है, तो उसे उक्त संबंध में विधि अनुसार सक्षम स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए थी। जहां तक इकरारनामा लिखने की तारीख इकरारनामा में अंकित नहीं होने का अपीलान्ट का उज्र है, इसके संबंध में इकरारनामा में अपीलान्ट स्वंय ने कथन किया है कि "मैने आज दिनांक 05.05.2012 को मेरे व मेरे पुत्रों के मध्य घर में बैठकर आपसी राजीनामा हो गया" उक्त कथन से भी यह स्पष्ट है कि उक्त इकरारनामा दिनांक 05.05.2012 को निस्पादित किया गया है।

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 10(1)(2) के प्रावधान के तहत न्यायालय अपने फैसले पर पुर्नविचार कर भत्ते की राशि को कम अथवा समाप्त कर सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान के अन्तर्गत निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो विधि सम्मत है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ आदेश की एक प्रमाणित उपखण्ड अधिकारी मेड़ता को पालना हेतु भिजवाई जावे एवं आदेश की एक–एक प्रमाणित प्रति अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण को निशुल्क भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर